रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032023-244432
CG-DL-E-17032023-244432

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 16, 2023/फाल्गुन 25, 1944
No. 154] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 2023/PHALGUNA 25, 1944

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2023

सा.का.नि. 193(अ).—पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2022 का प्रारूप भारत सरकार, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) की अधिसूचना सा.का.नि. 656 (अ) में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, के तीस दिनों की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये गये थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 25 अगस्त, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 की उप-धारा (1) और (2) के खंड (ङक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ. 1256 (अ) तारीख 24 दिसम्बर, 2001 के द्वारा किए गए, उन बातों के निवारण जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया हो, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं : (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम,1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) **"पशु जन्म नियंत्रण केंद्र"** से शल्य अवसंरचना, पश्च संचालित देखभाल केनल, क्वारंटाइन केनल, आइसोलेशन केनल, कुत्ता परिवहन यान के साथ आवश्यक सैन्य तंत्र और बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अन्य सुविधाओं के साथ एक पशु चिकित्सा सुविधा है, जिसे मार्ग के कुत्ते पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन हेतु निर्मित किया जाता है, अभिप्रेत है;

(ग) "पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम" से इन नियमों के अधीन पशुओं का स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संस्थान द्वारा पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाना अभिप्रेत है;

(घ) "पशु आश्रय" से वह स्थान अभिप्रेत है जहां आवारा या गली के या परित्यक्त पशुओं को गोद लेने या पुनर्वास, बीमार या घायल होने पर साधारण उपचार के लिए रखा जाता है;

(ङ) "पशु कल्याण समिति" से इन नियमों के अधीन सामुदायिक कुत्तों को खाना खिलाने के समाधान हेतु गठित समिति अभिप्रेत है;

(च) "पशु कल्याण संगठन" से पशुओं के कल्याण के लिए काम करने वाला कोई भी संगठन अभिप्रेत है जो 1860 के सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और बोर्ड की विद्यमान नीति के अनुसार भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त है;

(छ) "बोर्ड" से भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित किया गया है और धारा 5क के अधीन पुनर्गठित किया गया है;

(ज) "प्रमाण-पत्र" से इन नियमों के अधीन पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के प्रयोजन से किसी भी पशु कल्याण संगठन या स्थानीय प्राधिकरण को बोर्ड द्वारा जारी परियोजना मान्यता का प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(झ) "समिति" से नियम 9 के अधीन स्थापित एक निगरानी समिति अभिप्रेत है;

(ञ) "सामुदायिक पशु" से किसी समुदाय में पैदा हुआ कोई भी पशु, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन परिभाषित जंगली जानवरों को छोडकर जिसके लिए किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी स्वामित्व का दावा नहीं किया गया अभिप्रेत है;

(ट) "निरिक्षण दल"से नियम 14 के अधीन बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा अधिकृत टीमअभिप्रेत है;

(ठ) " क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी" से क्षेत्र के पशुपालन विभाग के शासकीय पशु चिकित्सालय में तैनात पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड) "स्थानीय प्राधिकरण" से विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के अधीन किसी भी मामले के नियंत्रण और प्रशासन के साथ एक नगरपालिका समिति, नगर परिषद, जिला प्रशासन, जिला पंचायत/बोर्ड, छावनी बोर्ड या विधि द्वारा निवेशित अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ढ) "मॉड्यूल"से कुत्तों की आबादी के प्रबंधन और रेबीज उन्मूलन के लिए बोर्ड द्वारा समयसमय प-र प्रकाशित और अद्यतन लिखित दस्तावेज अभिप्रेत है, जो आवारा कुत्तों के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के रूप में काम करेगा;

(ण) "स्वामी" से किसी पशु का स्वामी अभिप्रेत है और इसमें कोई अन्य व्यक्ति या संस्था संगठन सम्मिलित है जिसके कब्जे या अभिरक्षा में चाहे वह स्वामी की सहमति से हो या उसके बिना ऐसा पशु है;

(त) "परियोजना प्रभारी" से स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आवारा कुत्तों के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी ऐसा पशु है। स्थानीय प्राधिकरण का परियोजना प्रभारी स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार के नियमित पेरोल पर एक पशु चिकित्सा अधिकारी होगा;

(थ) "परियोजना मान्यता समिति" से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की परियोजना मान्यता के लिए आवेदनों की जांच और छटनी के लिए बोर्ड द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;

(द) "राज्य बोर्ड" से राज्य सरकार द्वारा राज्य में गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ध) "पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत स्थापित एक पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी अभिप्रेत है;

(न) "पशु चिकित्सा व्यवसायी" से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम,1984 (1984 का 52) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक पशु चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है किन्तु पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में परिभाषित है, क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं।

3. परियोजना मान्यता : (1) स्थानीय प्राधिकरण अपने स्वयं के पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन कर सकता है, या यदि अपेक्षित हो, तो स्थानीय प्राधिकरण एक पशु कल्याण संगठन की सेवाओं को संलग्न कर सकता है जिसे बोर्ड द्वारा पशु जन्म नियंत्रण हेतु सम्यक रूप में मान्यता प्रदान है और जिसके पास पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण, विशेषज्ञता और मानव संसाधन है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट दोनो शर्तों के अधीन, बोर्ड से एक परियोजना मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आज्ञापक होगा।

(3) कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या संगठन बोर्ड से परियोजना मान्यता प्रमाण-पत्र के बिना मार्ग के कुत्तों लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम शुरू, संचालित या आयोजित नहीं करेगा।

(4) कोई भी पशु कल्याण संगठन जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुबंध करने के लिए निहर्रित नहीं है, वह पहली अनुसूची में उपाबद्ध प्ररूप–I में अपना आवेदन पांच हजार रूपए मात्र की गैर-वापसी शुल्क के साथ बोर्ड को प्रस्तुत करके परियोजना मान्यता के लिए आवेदन कर सकता है।

(5) इन नियमों के अधीन परियोजना मान्यता के लिए आवेदन करने वाले किसी भी पशु कल्याण संगठन को बोर्ड द्वारा पहले से ही एक पशु कल्याण संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

(6) यदि कोई स्थानीय प्राधिकरण अपने स्वयं के पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, तो स्थानीय प्राधिकरण का परियोजना प्रभारी बोर्ड को सूचित करेगा तथा अन्य सभी शर्तें और बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडयूल लागू होंगे।

(7) पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन के लिए परियोजना मान्यता के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को प्रत्येक अलग पशु जन्म नियंत्रण केंद्र के लिए अलग-अलग आवेदन करने की अपेक्षा होगी।

(8) परियोजना मान्यता की मांग करने वाले आवेदक को प्रत्येक पशु चिकित्सक के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद / राज्य पशु चिकित्सा परिषद द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसे विशेष परियोजना पर तैनात किया जाएगा। आवेदक को सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी और आवेदक द्वारा तैनात किए जाने के लिए प्रस्तावित पशु चिकित्सकों में से कम से कम एक चिकित्सक को भारत में कहीं भी न्यूनतम दो हजार पशु जन्म नियंत्रण सर्जरी आयोजित करने का कुल संयुक्त अनुभव होना चाहिए।

(9) बोर्ड परियोजनाओं की मान्यता के लिए एक परियोजना मान्यता समिति का गठन करेगा;

(10) बोर्ड परियोजना मान्यता के लिए आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित राज्य के पशुपालन विभाग को प्रस्तावित पशु जन्म नियंत्रण केंद्र का निरीक्षण करने और बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉड्यूल के अनुसार अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता की पुष्टि करने और निरीक्षण करने का निर्देश देगा और बोर्ड से पत्र प्राप्त होने पर तीस दिनों की अवधि के भीतर एक दल द्वारा निरीक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात:-

i) जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी;

ii) राज्य पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति के नोडल अधिकारी;

iii) बोर्ड या राज्य बोर्ड का प्रतिनिधि;

iv) पशु शल्य चिकित्सा या पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाला एक विशेषज्ञ।

(11) निरीक्षण दल को निरीक्षण की तारीख से दस दिनों की अवधि के अन्दर बोर्ड द्वारा निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र के अनुसार निरीक्षण दल के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

(12) परियोजना मान्यता समिति, उप-नियम (10) के अधीन निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और संतुष्ट होने पर कि पशु जन्म नियंत्रण केंद्र इन नियमों के अधीन निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है, परियोजना पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी करने की सिफारिश कर सकती है।

(13) परियोजना मान्यता समिति की सिफारिश के आधार पर बोर्ड निरीक्षण प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के अन्दर इन नियमों के अधीन विशिष्ट परियोजना के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है, जो अहस्तांतरणीय होगा।

(14) स्थानीय प्राधिकरण के परियोजना प्रभारी या संगठन के पशु चिकित्सक यह सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना मान्यता का प्रमाण-पत्र पशु जन्म नियंत्रण केंद्र पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है और ऐसा प्रमाण-पत्र निरीक्षण प्राधिकारी के अनुरोध पर भी प्रस्तुत किया जाएगा।

4. **मान्यता से इंकार:**-बोर्ड इन नियमों के अधीन स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन द्वारा संचालित किसी भी परियोजना को मान्यता नहीं देगा, यदि –

(1) स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी यदि झूठी पाई जाती है या आवेदक ने आवेदन में जानबूझकर गलत विवरण दिया है या बोर्ड को मिथ्या या गढा हुआ अभिलेख प्रदान किया है;

(2) इन नियमों के अधीन मान्यता के लिए आवेदन जमा करने से पहले किसी भी स्तर पर पशु कल्याण संगठन, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रख्यापित किसी अन्य राज्य या केंद्रीय अधिनियम या किसी अन्य लागू विधि के अधीन पशुओं या पशुओं से संबंधित किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;

(3) पशु कल्याण संगठन ने निरीक्षण दल को पूरे परिसर या परिसर के हिस्से में निरीक्षण करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, या इन नियमों के अधीन अनिवार्य दस्तावेजों या किसी भी अभिलेख तक पहुंचने से इनकार कर दिया है।

(4) यदि परियोजना मान्यता समिति का यह विचार है कि पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में अवसंरचना और उपलब्ध जनशक्ति निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, तो बोर्ड उपरोक्त नियम 3(11) के अनुसार निरीक्षण दल से रिपोर्ट प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित में कारण बताते हुए आवेदन को अस्वीकार कर सकती है।

5. **मान्यता के बिना प्रतिषेध:**-मार्ग के कुत्तों के लिए कोई भी पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम तब तक आयोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन ने इन नियमों के अधीन इस तरह के कार्यक्रम के संचालन के लिए परियोजना मान्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया हो;

परंतु कि पहले परंतुक में निर्दिष्ट कोई स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन छह महीने की अवधि के भीतर परियोजना मान्यता के प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने में विफल रहता है या इन नियमों के अधीन निर्दिष्ट किसी भी कारण से परियोजना मान्यता से इन्कार कर दिया गया है, तो संबंधित स्थानीय प्राधिकरण ऐसे पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को बंद कर देगा। यदि कोई कुत्ते पकडे जा रहे हैं या शल्य क्रिया की जा रही है तो उसे तत्काल रोक दिया जाएगा और सभी कुत्तों का इलाज परियोजना प्रभारी या किसी पशु कल्याण संगठन के द्वारा किया जाएगा, जब तक कि वे रिहा होने के लिए फिट न हों।

6. **मान्यता का नवीनीकरण:-** (1) बोर्ड द्वारा जारी पशु जन्म नियंत्रण केंद्र के लिए परियोजना मान्यता का प्रमाण-पत्र मान्यता की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और इन नियमों के अधीन बोर्ड को एक आवेदन प्राप्त होने पर नवीनीकृत किया जा सकता है।

(2) मान्यता के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन, पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए परियोजना मान्यता की समाप्ति से कम से कम साठ दिन पहले, बोर्ड को पहली अनुसूची में संलग्न प्ररूप– IV में पांच हजार रूपये के गैर-वापसी योग्य नवीकरण शुल्क के साथ किया जाएगा तथा नियम 3 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(3) नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और संतुष्ट होने पर कि पशु जन्म नियंत्रण केंद्र इन नियमों के अधीन निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन होने पर, बोर्ड पहली अनुसूची के साथ संलग्न प्ररूप – V में दिए गए प्रारूप में नवीनीकरण जारी कर पशु जन्म नियंत्रण केंद्र की परियोजना मान्यता के प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कर सकता है।

(4) बोर्ड द्वारा जारी परियोजना मान्यता प्रमाण-पत्र के लिए नवीनीकरण तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, यह इन नियमों के अधीन बोर्ड द्वारा एक आवेदन और नवीनीकरण शुल्क प्राप्त होने पर नवीकरणीय होगा।

7. पशुओं का वर्गीकरण:-इन नियमों के प्रयोजन के लिए वर्गीकृत पशु इस प्रकार हैं:

(1) पालतू पशु– व्यक्तियों के स्वामित्व में एवं घर के अंदर रखे जाने वाले कुत्ते;

(2) मार्ग के कुत्तों या समुदाय के स्वामित्व वाले भारतीय कुत्ता या परित्यक्त वंशावली वाले कुत्ते जो बेघर हैं, मार्ग या एक दरवाजों वाले परिसर में रहते हैं।

8. टीकाकरण और बंध्याकरण का उत्तरदायित्व:- (1) पालतू पशुओं के मामले में पशु का स्वामी कृमि मुक्तिकरण, प्रतिरक्षकण और नसबंदी के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) मार्ग में रहने वाले पशुओं के मामले में, स्थानीय प्राधिकरण कृमि मुक्तिकरण टीकाकरण और नसबंदी के लिए उत्तरदायी होगा और इन नियमों के अनुसार पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को चलाने के लिए बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त एक पशु कल्याण संगठन को नियुक्त कर सकता है।

9. निगरानी समितियों का गठन और उसके कार्य:- रेबीज के उन्मूलन और मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए इन नियमों के अनुसार पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा और निगरानी समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(1) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न हितधारको तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन और रेबीज उन्मूलन के हेतु एक केंद्रीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी और समन्वय समिति का गठन किया जाएगा;

(2) समिति का गठन और उसके कार्य अनुसूची –II में निर्धारित किए जाएंगे;

(3) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्तर पर एक राज्य पशु जन्म नियंत्रण कार्यान्वयन और निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति राज्य भर में वैज्ञानिक और चरणबद्ध रीति से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समन्वय करेगी। समिति का गठन और उसके कार्य अनुसूची –II में निर्धारित किए जाएंगे; और

(4) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में स्थानीय प्राधिकरण स्तर पर एक स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। समिति का गठन और उसके कार्य अनुसूची – II में गठित किए जाएंगे।

10. स्थानीय प्राधिकरण के दायित्व:-

(1) स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:-

(क) पर्याप्त संख्या में केनल और पशु चिकित्सा अस्पताल सुविधाएं जो स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन द्वारा प्रबंधित की जा सकती हैं;

(ख) कुत्तों के सुरक्षित संचालन और परिवहन के लिए आवश्यक रूपान्तरणों से युक्त अपेक्षित संख्या में वैन;

(ग) छोटे स्थानीय निकायों, जहां आवश्यक समझा जाता है और जहां पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल के लिए केनल उपलब्ध हैं, के लिए नसबंदी और टीकाकरण के लिए मोबाइल सैंटर के रूप में शल्य अवसंरचना से लैस एक मोबाइल ऑपरेशन थिएटर वैन;

(घ) अंगों और शवों के निपटान के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भस्मक स्थापित किए जाएं और जहां भस्मक संभव नहीं है, वहां गहरी दफन विधि अपनाई जा सकती है।

(ङ) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र की आवधिक मरम्मत और रख-रखाव।

(च) पूरे परिसर में क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी), विशेष रूप से ऑपरेशन थिएटर में और जहां पशुओं को पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में रखा जाता है, उनकी वीडियो निगरानी के रिकॉर्ड को बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कम से कम एक महीने के लिए रखना होगा जिससे इन्हें जांच या अनुरोध पर निरीक्षण प्राधिकारी, निगरानी समिति या बोर्ड के लिए उपलब्ध कराया जा सके।

(छ) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में हर समय साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखी जानी चाहिए।

(ज) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में लाए गए सभी जानवरों को पकडने, छोडने, दवा, शल्यक्रिया, भोजन, टीकाकरण का अभिलेख रखा जाना चाहिए।

(2) यदि पशु कल्याण संगठन की सेवाएं ली गई हैं, तो स्थानीय प्राधिकरण नियमित आधार पर नसबंदी / टीकाकरण के खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगा।

(3) स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति का गठन स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का आकलन करने के लिए हर महीने कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(4) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर स्थानीय प्राधिकरण इन नियमों के उल्लंघन के मामले की जांच करेगा और स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति या बोर्ड की सिफारिश के आधार पर ऐसे संगठन के साथ किसी भी जुडाव को समाप्त या निलंबित करेगा।

(5) स्थानीय प्राधिकरण अपने स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से एक विशेष प्रयोजन वाहन बनाकर पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन कर सकता है और नियम 3 के उप-नियम (4) के अनुसार बोर्ड को सूचित कर सकता है।

(6) विशेष प्रयोजन वाहन संविदात्मक या पूर्णकालिक पशु चिकित्सकों, संचालकों, चालकों और सह-पशु चिकित्सकों को किराए पर लेगा जो कार्यक्रम को लागू करेंगे और ऐसे पशु जन्म नियंत्रण परियोजना के किसी भी भाग को किसी अन्य अभिकरण को उप-किराये पर नहीं देंगे।

(7) स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा रखे गए कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है और वे इन नियमों की सभी शर्तों एवं मॉड्यूल का पालन कर रहे हैं तथा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त परियोजना प्रभारी विशेष प्रयोजन वाहन का भाग नहीं होगा।

11. **पकडना या नसबंदी या टीकाकरण या छोडना:-**(1) मार्ग के कुत्तों को पकडने का कार्य केवल निम्नलिखित कारणों से किया जाएगा:

(क) **साधारण प्रयोजन:** जिसके लिए स्थानीय प्राधिकरण निगरानी समितियों के परामर्श से एक विशिष्ट इलाके या क्षेत्र में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से मार्ग के कुत्तों की अधिक आबादी को नियंत्रित करने का विनिश्चय करेगा।

(ख) **विशिष्ट शिकायतें:** जिसके लिए स्थानीय प्राधिकरण निगरानी समिति के परामर्श से पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में एक पशु शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करेगा, जो रेबीज से पीडित होने की संदिग्धता वाले मार्ग के कुत्तों द्वारा काटे जाने की जानकारी या शिकायत प्राप्त करेगा।

(2) कुत्तों को पकडने वाली टीम में निम्न सम्मिलित होंगे:

(i) वैन का चालक

(ii) स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन के दो या दो से अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी जो मार्ग के कुत्तों को मानवीय रूप से पकडने में प्रशिक्षित हैं; और

(iii) किसी भी पशु कल्याण संगठन का एक प्रतिनिधि जो इस प्रयोजन के लिए नामांकित किया गया है;

परंतु, कुत्ता पकडने वाले दल के प्रत्येक सदस्य के पास स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी वैध पहचान पत्र होना चाहिए।

(3) किसी भी इलाके में मार्ग के कुत्तों को पकडने से पहले, स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन के प्रतिनिधि बैनर / सार्वजनिक नोटिस द्वारा निवासियों को सूचित करते हुए घोषणा करेंगे कि जानवरों को नसबंदी के प्रयोजन से उस क्षेत्र से पकडा जाएगा और टीकाकरण तथा नसबंदी के पश्चात उसी क्षेत्र में वापिस छोड दिया जाएगा।

(4) घोषणा क्षेत्र के निवासियों को पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में भी संक्षिप्त में शिक्षित कर सकती है और सभी निवासियों के समर्थन के लिए उन्हें आश्वस्त कर सकती है कि स्थानीय प्राधिकरण उनकी सुरक्षा और पशुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा है और ऐसे प्रयास प्रत्येक पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में भी संस्थापित किए जाएंगे।

(5) पशुओं को पकडने में मानवीय रीतियों का उपयोग किया जाएगा जैसे कि जाल से पकडना या हाथ से पकडना या किसी उन्य रीति से जो पशु को कम परेशान करता हो। कुत्तों को पकडने के लिए चिमटे या तारों का प्रयोग करना सख्त रूप से वर्जित होगा।

(6) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र की आवास क्षमता के अनुसार केवल निर्धारित संख्या में ही पशुओं को पकडा जाएगा।

(7) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में एक निश्चित समय पर केवल एक क्षेत्र के पशुओं को ही नसबंदी, टीकाकरण के लिए लाया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के कुत्तों को संपर्क में आने से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(8) पकडे गए सभी कुत्तों की पहचान पशु जन्म नियंत्रण केंद्र पर पहुंचने के तुरंत बाद एक नंबर वाले कॉलर से की जाएगी। यह संख्या पकडे गए श्वानों के रिकॉर्ड के अनुरूप होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक कुत्ते को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में छोडा जाए जहां से उसे पकडा गया था।

(9) छह महीने से कम उम्र वाले मार्ग के कुत्ते को पकडा नहीं जाएगा और उनकी नसबंदी नहीं की जाएगी और पिल्लों के साथ मादा पशुओं को तब तक नसबंदी के लिए नहीं पकडा जाएगा जब तक कि उनके बच्चे दो महीने के न हो जाए।

(10) पकडे गए पशुओं को बोर्ड से परियोजना मान्यता प्रमाण-पत्र वाले और स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन द्वारा प्रबंधित पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में लाया जाएगा जहां पशु चिकित्सकों द्वारा उनकी जांच की जाएगी और स्वस्थ पशुओं को बीमार या घायल पशुओं से अलग रखना चाहिए। परंतु बीमार या घायल पशुओं को पर्याप्त उपचार दिया जाना चाहिये तथा उपचारित जानवरों के ठीक होने के बाद ही उनकी नसबंदी की जानी चाहिए।

(11) केनल जहां कुत्तों को रखा जाता है, प्रत्येक केनल के दरवाजे पर इलाके का नाम स्पष्ट रूप से लिखकर चिन्हित किया जाना चाहिए। अलग-अलग कुत्तों के लिए केनल कम से कम तीन फीट चौडे, चार फीट गहरे और कम से कम छ: फीट ऊंचे होने चाहिए। तीन से पांच कुत्तों के लिए केनल भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जहां प्रत्येक कुत्ते को कम से कम तीन फीट गुणा चार फीट की जगह मिले।

(12) केनल में लोहे की खडी छडों का दरवाजा या गेट होना चाहिए एवं सभी सलाखों के बीच का अंतराल दो इंच से अधिक नहीं होना चाहिए तथा खराब मौसम में छाया और आश्रय प्रदान करने और कुत्तों को भगने से रोकने के लिए पर्याप्त छत आवश्यक है।

(13) केनल का डिजाइन करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि केनल के माध्यम से हवा का पर्याप्त क्रॉस वेंटिलेशन है और केनल के पीछे का भाग उठा हुआ डिजाइन किया जाना चाहिए जहां कुत्ते आराम से सो सके और सफाई की सुविधा के लिए सभी केनल में उचित जल निकासी व्यवस्था होनी चाहिए।

(14) एक ही परिवार / समाजिक समूह के कुत्तों को एक ही केनल में रखा जा सकता है। नर और मादा कुत्तों को अलग-अलग रखा जाना चाहिए तथा कुत्तों को शल्य क्रिया से पहले बारह घंटे तक क्वरंटाइन केनल में बिना भोजन या पानी के रखा जाना चाहिए।

(15) एक अच्छी तरह से सुसज्जित ऑपरेशन थियेटर में स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारियों की विशेष देख-रेख में एक पशु चिकित्सक द्वारा नसबंदी शल्य क्रिया और टीकाकरण किया जाना चाहिए और बोर्ड द्वारा मॉडयूल में अनुमोदित निर्धारित शल्य प्रक्रियाएं और न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान की जायेंगी।

(16) नसबंदी शल्य क्रिया के दौरान प्रत्येक कुत्ते के दाहिने कान पर एक 'वी' आकार का निशान बनाया जाएगा और कान की ऐसे कतरन से कुत्ते के मार्ग में वापस आने के बाद उसे बंध्याकृत और प्रतिरक्षित के रूप में पहचानने में मदद मिलती है तथा कुत्तों की ब्रांडिंग की अनुमति नहीं होगी।

(17) शल्यक्रिया से ठीक होने के पश्चात, कुत्तों की नसबंदी के बाद कम से कम चार दिनों के लिए केनल में रखा जाएगा ताकि पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल हो सके और प्रत्येक कुत्ते को दिन में दो बार पर्याप्त और स्वस्थ भोजन और हर समय पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नर और मादा कुत्तों को अलग-अलग रखा जाना चाहिए।

(18) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में कुत्तों की उचित आवास एवं मुक्त आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह होगी औरउस जगह में उचित संवातन तथा प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए और इसे साफ रखना चाहिए।

(19) कुत्तों को उसी स्थान या इलाके में वापिस छोडा जाएगा जहां से उन्हें पकडा गया था और उनकी रिहाई की तारीख, समय और स्थान ठीक प्रकार से दर्ज किया जाएगा एवं रिहाई के समय स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन का प्रतिनिधि टीम के साथ होगा और समय-समय पर, बोर्ड कुत्तों को पकडने और छोडने के दौरान उनके स्थान की जियो-टैगिंग के लिए उपयुक्त प्रक्रिया प्रदान कर सकता है।

(20) पशु जन्म नियंत्रण शल्यक्रिया को सुरक्षित और मानवीय रूप से करने के लिए, कार्यान्वयन अभिकरण समय-समय पर मॉडयूल में मानक संचालन प्रक्रियाओं के संबंध में बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगी।

12. रखे जाने वाले अभिलेख:-स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन के परियोजना प्रभारी पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में निम्नलिखित अभिलेख रखेंगे जिन्हें दैनिक आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए:-

(1) पकडे गए जानवरों का अभिलेख निम्नलिखित सहित:

(i) उस क्षेत्र / इलाके का नाम जहां से कुत्ते को पकडा गया था;

(ii) पकडने की तारीख और समय;

(iii) पकडने के लिए उत्तरदायी कैप्चरिंग दस्ते के व्यक्तियों के नाम;

(iv) पकडे गए कुत्तों के बारे में विवरण – कुत्ता की टैग संख्या, नर, मादाओं की संख्या, रंग, पहचान चिन्ह और अनुमानित आयु;

(v) रिहाई की तारीख एवं समय; और

(vi) उस क्षेत्र / इलाके का नाम जहां पर कुत्ता को रिहा किया गया।

(2) प्रत्येक केनल के लिए फीडिंग अभिलेख और खाद्य सूची।

(3) प्रत्येक कुत्ते के लिए उपचार अभिलेख।

(4) दवाईयां और वैक्सीन इन्वेंटरी।

(5) मृत्यु दर अभिलेख।

(6) शल्य उपकरण आदि सहित उपकरण सूची।

(7) श्वान वैन लॉगबुक।

(8) कर्मचारी उपस्थिति अभिलेख।

(9) अंग निरीक्षण अभिलेख।

(10) पिछले तीस दिनों के सीसीटीवी फुटेज।

13. रिपोर्ट:-स्थानीय प्राधिकरण के परियोजना प्रभारी या पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन करने वाले पशु कल्याण संगठन के पशु चिकित्सक प्रभारी, जिन्होंने इन नियमों के अधीन परियोजना मान्यता प्राप्त की है:-

(i) अनुसूची-III और IV में उपबंधित प्रारूपों में निम्नलिखित विवरणों के साथ बंध्याकृत और टीकाकरण किए गए मार्ग के कुत्तों की संख्या की मासिक प्रगति रिपोर्ट स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति को प्रस्तुत करें:-

(क) पकडे गए मार्ग कें कुत्तों की कुल संख्या;

(ख) नसबंदी किये गये मार्ग के कुत्तों की कुल संख्या;

(ग) केवल अवलोकन के लिए रखे गए मार्ग के कुत्तों की कुल संख्या;

(घ) शल्यक्रिया के पहले, दौरान या बाद में मरने वाले कुत्तों की कुल संख्या;

(ङ) परियोजना से जुडे प्रत्येक पशु चिकित्सक का नाम और योग्यता तथा महीने के दौरान प्रत्येक पशु चिकित्सक द्वारा बंध्याकृत कुत्तों की संख्या;

(च) प्रत्येक पशु चिकित्सक का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या तथाउसके द्वारा पिछले हर एक महीने में की गई पशु जन्म नियंत्रण शल्यक्रिया की संख्या;

(छ) अनुसूची –III में प्रपत्र में प्रत्येक पशु चिकित्सक द्वारा की गई शल्यक्रिया के विरूद्ध पोस्ट-ऑपरेटिव जटिलताओं और मृत्यु दर की संख्या;

(ii) हर वर्ष 31 मई तक राज्य पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति के माध्यम से बोर्ड को 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के दौरान पकड़े गए, बंध्याकृत, प्रतिरक्षित पशुओं की कुल संख्या के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें;

(iii) बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा समय-समय पर अपेक्षित ऐसी अन्य जानकारी विहित प्रारूप में जमा करें।

14. निरीक्षण करने की शक्ति:-(1) बोर्ड को शिकायत प्राप्त होने पर या समय-समय पर निरीक्षण के लिए किसी भी पशु जन्म नियंत्रण केंद्र का निरीक्षण करने के लिए लिखित रूप में एक निरीक्षण दल को अधिकृत करने की शक्ति होगी:

(2) निरीक्षण दल के पास शक्ति होगी –

(क) परिसर में प्रवेश कर परिसर के भीतर सभी क्षेत्रों और सभी पशुओं और अभिलेख तक पंहुचे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन नियमों की आवश्यकताओं का पालन किया जा रहा है;

(ख) तस्वीरे लेने, वीडियों रिकोर्ड करने, और अभिलेख की प्रतियां बनाने की।

(3) इन नियमों के अधीन मान्यताप्राप्त इकाई का एक वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा।

(4) निरीक्षण दल अपनी रिपोर्ट बोर्ड और राज्य निगरानी समिति को प्रस्तुत करेगा।

(5) निरीक्षण दल द्वारा ऐसा निरीक्षण करने के लिए कोई पूर्व सूचना नहीं दी जा सकती है।

15. मार्ग के कुत्तों की सुखमय मृत्यु:-(1) स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति द्वारा नियुक्त एक दल द्वारा निदान के रूप में असाध्य रूप से बीमार और घातक रूप से घायल कुत्तों को एक योग्य पशु चिकित्सक द्वारा सोडियम पेंटोबार्बिटल के अंत: शिरा प्रयोग से या किसी अन्य अनुमोदित मानवीय रीति द्वारा मानवीय तरीके से निर्दिष्ट घंटो के दौरान सुखमय मृत्यु दी जाएगी।

(2) दल में क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी, परियोजना प्रभारी और बोर्ड / राज्य बोर्ड का एक प्रतिनिधि सम्मिलित होगा।

(3) किसी कुत्ते को दूसरे कुत्ते की उपस्थिति में सुखमय मृत्यु नहीं दी जाएगी और सुखमय मृत्यु के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को निपटाने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि पशु मर चुका है।

(4) सुखमय मृत्यु का अभिलेख सुखमय मृत्यु के कारणों सहित उपरोक्त नियुक्त दल के हस्ताक्षर सहित रखा जाना चाहिए।

16. **कुत्तों के काटने या पागल कुत्तों से संबंधित शिकायतों का समाधान:-**स्थानीय प्राधिकरण एक पशु हेल्पलाइन स्थापित कर सकता है। अभिलिखित किए जा सकने वाले संघर्ष के मामलों को अभिलिखित करने और हल करने के लिए या तो परियोजना प्रभारी या पशु कल्याण संगठन उत्तरदायी होगा।

(1) ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता का नाम उसका पूरा पता, शिकायत की तारीख और समय, शिकायत की प्रकृति आदि जैसे विवरण स्थायी अभिलेख के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे।

(2) किसी भी कुत्ते के काटने की सूचना तुरंत सरकारी चिकित्सा अस्पताल के साथ साझा की जाएगी ताकि काटने के पश्चात उपचार की सिफारिश की जा सके।

(3) ऐस पशुओं को पशु चिकित्सक की सलाह पर मानवीय रूप से पकडा जाएगा और पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में अवलोकन के लिए रखा जाएगा, किसी भी संचारी रोग के लक्षण दिखाने वाले कुत्ते को आइसोलेशन केनल में रखा जाएगा जहां श्वान को दिन में दो बार भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(4) किसी भी सदिग्ध रैबिड कुत्ते का दो व्यक्तियों के पैनल द्वारा निरीक्षण किया जाएगा जिसमें स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एक पशु चिकित्सा सर्जन और एक पशु कल्याण संगठन का एक प्रतिनिधि होंगे।

(5) यदि कुत्ते को रेबीज होने की उच्च संभावना पाई जाती है,तो उसे तब तक अलग रखा जाएगा जब तक कि उसकी प्राकृतिक मृत्यु न हो जाए। मृत्यु आमतौर पर रेबीज होने के दस दिनों के अन्दर होती है।

(6) यदि कुत्ते को रेबीज नही बल्कि कोई अन्य बीमारी या उग्र प्रकृति का पाया जाता है तो उसे पशु कल्याण संगठन को सौप दिया जाएगा जो दस दिनों के अवलोकन के पश्चात कुत्ते को ठीक करने और छोडने के लिए आवश्यक कार्यवाई करेगा।

(7) जिन कुत्तों की रेबीज से मृत्यु होने का संदेह है, उनके शवों को जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित किसी भस्मक में या किसी अन्य विधि को अपनाते हुए निपटाया जाएगा।

(8) यदि पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम एक पशु कल्याण संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, तो स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति द्वारा निर्धारित दर पर ऐसे कुत्तों को निगरानी में रखने और इलाज के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(9) मार्ग के कुत्तों के बारे में लोगो को जागरूक करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई आउटरीच सामग्री को शहर के प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित करेगा।

17. **अंगों की गिनती और निपटान:-** नर और मादा कुत्तों से निकाले गए प्रजनन अंगों को पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में दस प्रतिशत फॉर्मलाडेहाइड में संग्रहित किया जाएगा।

(1) अंगों की गणना पाक्षिक या मासिक या जितनी बार स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति द्वारा तय की गई हो, एक दल द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे - अर्थात:

(i) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कोई पशु चिकित्सा अधिकारी;

(ii) परियोजना प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी;

(iii) राज्य बोर्ड / एसपीसीए के प्रतिनिधि;

(iv) किसी भी पशु कल्याण संगठन के प्रतिनिधि:

बशर्ते कि पशु कल्याण संगठन जो पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है अंग निरीक्षण दल का हिस्सा नहीं होगा।

(2) नर और मादा जननांग अंगों की संख्या और शल्यक्रिया की तारीख के साथ चिन्हित अलग-अलग प्लास्टिक के बक्से में संरक्षित किया जाएगा।

(3) अंग निरीक्षण दल सभी अंगों की गणना करेगा और विचाराधीन अवधि के लिए कार्यान्वयन अभिकरण की प्रगति रिपोर्ट का सत्यापन करेगा।

(4) गिने हुए अंगों को अंग निरीक्षण दल की उपस्थिति में टैटू डाई के छिडकाव और गहरे में दफन या भस्मीकरण द्वारा तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। अंगों के नष्ट करने और दफनाने की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और तारीख और समय की मोहर के साथ फोटो खींची जाएगी।

(5) राज्य एबीसी निगरानी समिति नियमों का पालन सुनिश्चित करने और गैर-अनुपालन के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक एबीसी केंद्र में हर साल कम से कम एक बार औचक निरीक्षण करेगी।

18. **गैर-अनुपालन का प्रभाव:-** (1) नियम 14 में संदर्भित रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यदि बोर्ड की राय है कि इन नियमों के अधीन किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है या पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 1960 (1960 का 59) या उसके अधीन बनाए गए नियम या क्रूरता की स्थिति में, बोर्ड पशु कल्याण संगठन या पशु जन्म नियंत्रण केंद्र चलाने वाले स्थानीय प्राधिकरण को पंद्रह दिनों के अन्दर उत्तर के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

(2) पशु कल्याण संगठन या स्थानीय प्राधिकरण से लंबित उत्तर की स्थिति में, बोर्ड लिखित में कारण बताकर इसकी मान्यता को निलंबित कर सकता है।

(3) बोर्ड, निरीक्षण रिपोर्ट और कारण बताओ नोटिस के जवाब के आधार पर, इस अधिनियम के अनुसार कार्रवाई कर सकता है या जिला मजिस्ट्रेट या जिला एसपीसीए को विधि के अनुसार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है।

(4) यदि यह मानने का कारण है कि इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बोर्ड के पास किसी भी पशु कल्याण संगठन के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की शक्ति होगी जिससे ऐसे संगठन को किसी भी पशु के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने से रोका जा सके।

(5) बोर्ड ऐसे संगठन को किसी भी पशु के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने से रोकने के लिए किसी भी पशु कल्याण संगठन को ब्लैकलिस्ट करेगा; परंतु कि ऐसी ब्लैकलिस्ट केवल तभी की जाएगी जब बोर्ड द्वारा अधिकृत या संचालित निरीक्षण पर यह स्थापित हो जाए कि पशु कल्याण संगठन एक बार-बार उपराधी है या उल्लंघन की प्रकृति किसी भी रूप में जघन्य क्रूरता या भ्रष्टाचार से संबंधित है।

(6) इन नियमों के तहत किसी भी उल्लंघन को अधिनियम के तहत उपराध माना जाएगा और पशु कल्याण संगठन या स्थानीय प्राधिकरण के परियोजना प्रभारी के पदाधिकारियों पर कानून के अनुसार आरोप लगाया जा सकता है।

19. **घरेलू / जंगली बिल्लियों की नसबंदी और टीकाकरण:–**राज्य बोर्ड की सलाह पर, बिल्लियों की नसबंदी एक मान्यताप्राप्त पशु कल्याण संगठन द्वारा प्रशिक्षण और विशेषज्ञता के साथ बोर्ड द्वारा प्रकाशित बिल्लियों का बंध्याकरण और टीकाकरण के लिए दिशा निर्देशों में निर्धारित तरीके से बिल्लियों का बधियाकरण या नपुंसकीकरण आयोजित किया जा सकता है।

(1) बिल्ली के जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए बुनियादी ढांचे और खर्चो की प्रतिपूर्ति स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(2) जब कुत्तों के लिए प्रदान किए गए पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में बिल्ली नसबंदी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहा हो, तब बिल्लियों को कुत्तों के साथ नही रखा जाना चाहिए या किसी भी तरह से संपर्क में नहीं आना चाहिए।

(3) बिल्लियों की पोस्ट–ऑपरेटिव देखभाल ऐसी जगह की जानी चाहिए जहाँ वे श्वानों की आवाज / गंध से अनावश्यक तनाव से पीडित न हों।

20. सामुदायिक पशुओं को खिलाना:– (1) यह रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन या उस क्षेत्र के स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि की उत्तरदायी होगी कि परिसर या उस क्षेत्र में रहने वाले सामुदायिक पशुओं को खिलाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए उस क्षेत्र या परिसर में रहने वाले व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, जो उन पशुओं को खिलाता है या उन पशुओं को खिलाने का इरादा रखता है और एक दयालु भाव के रूप में सडक पर रहने वाले पशुओं की देखभाल करता है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन या उस क्षेत्र के स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि:-

(i) फीड स्पॉट नामित करते समय श्वानों की आबादी और उनके संबंधित क्षेत्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक रूप से सहमत स्थान पर होना चाहिए जो बच्चों के खेलने के क्षेत्रों, प्रवेश और निकास बिंदुओं, सीढियों से दूर होंगे या ऐसे क्षेत्रों में होंगे जहां बच्चों और ज्येष्ठ नागरिकों द्वारा कम से कम बार आने की संभावना हो।

(ii) बच्चों, ज्येष्ठ नागरिकों, खेलों के लिए आवाजाही के आधार पर भोजन का समय निर्धारित करना, जिसमें बच्चों और ज्येष्ठ नागरिकों द्वारा कम से कम बार आने की संभावना हो।

(iii) नामित फीडर यह सुनिश्चित करेगा कि फीडिंग स्थान पर कोई गंदगी न हो या उस क्षेत्र के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन न हो।

(iv) नामित फीडरों को पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम में सहायता हेतु टीकाकरण, कुत्तो को पकडने और छोडने के लिए स्वयं सेवा की अनुमति है।

(2) जहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन और पशु देखभाल करने वालों या अन्य निवासियों के बीच कोई विरोध है, तो एक पशु कल्याण समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या उनके प्रतिनिधि;

(ii) क्षेत्राधिकार वाले पुलिस के प्रतितिधि;

(iii) जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के प्रतिनिधि पशु या राज्य बोर्ड;

(iv) पशु जन्म नियंत्रण का संचालन करने वाले किसी भी मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठन का प्रतिनिधि;

(v) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारी;

(vi) शिकायतकर्ता;

(vii) उस क्षेत्र के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन या स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि।

नियम 20 के उपनियम (2) के अधीन गठित समिति का निर्णय फीडिंग प्वाइंट के निर्धारण के संबंध में अंतिम निर्णय होगा और समिति उस क्षेत्र में उन जानवरों को खिलाने के लिए बोर्ड द्वारा नामित कॉलोनी केयर टेकर में से व्यक्ति को भी नामित कर सकती है।

(3) कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन या कोई फीडर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन या स्थानीय निकाय नियम 20 के उप-नियम (2) के अधीन बनाई गई समिति के निर्णय से व्यथित होने पर, अपील राज्य बोर्ड को दायर की जाएगी। राज्य बोर्ड का निर्णय उस क्षेत्र में पशुओं को खिलाने का अंतिम निर्णय होगा।

21. अपील:–(1) परियोजना मान्यता समिति के निर्णय से व्यथित पशु कल्याण संगठनया कोई व्यक्ति, निर्णय प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, बोर्ड को अपील कर सकता हैं;

(2) शिकायत प्राप्त होने पर बोर्ड के अध्यक्ष एक समिति का गठन करेंगे जहां बोर्ड के सदस्य और संबंधित अधिकारी शिकायत की जांच करेंगे और समिति नोटिस देने के पश्चात और पार्टियों को सुनवाई का

अवसर देने के पश्चात या तो अपील को खारिज कर सकती है या अनुमति दे सकती है जिसके कारण लिखित में दर्ज किये जायेंगे।

(3) कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन या बोर्ड के निर्णय से व्यथित व्यक्ति, वे बोर्ड से संसूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर पशुपालन विभाग के सचिव को दूसरी अपील दायर करेंगे।

(4) पशुपालन विभाग के सचिव के निर्णय को शिकायत के संबंध में अंतिम निर्णय माना जायेगा।

22. जहां स्थानीय उपनियम आदि विद्यमान हैं - वहां नियमों का लागू होना:- 1) यदि कोई स्थानीय नियम, उपविधि, कोई अधिनियम, विनियम राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी मामले के संबंध में लागू है, जिसके लिए इन नियमों में प्रावधान किया गया है, तो ऐसे नियम, विनियम या उपविधि उस सीमा तक लागू होगा जहां तक -

(क) इसमें इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों की तुलना में पशु के लिए कम परेशान करने वाले प्रावधान हैं, प्रबल होंगे;

(ख) इसमें इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों की तुलना में पशुओं के लिए अधिक परेशान करने वाले प्रावधान शामिल हैं, कोई प्रभाव नहीं होगा।

[आर-440485/13/2022-डीएडीएफ-विभाग]

डॉ. ओ. पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

अनुसूची – I

[नियम 6 (3) देखें]

1. प्ररूप।

पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की अनुमति लेने के लिए आवेदन पत्र

भाग - I

1.	संगठन का ब्यौरा						
(क)	संगठन का नाम						
(ख)	संगठन का पता पिन कोड नं. सहित						
(ग)	टेलीफोन नंबर एसटीडी कोड के साथ और मोबाइल नंबर (व्हाट्सएप नंबर)						
(घ)	ई-मेल पता						
(ङ)	संगठन का पैन नंबर						
(च)	स्थापना का वर्ष						
2.	शरण गृह / औषधालय का ब्यौरा						
	क्र. सं.	शरणगृह / औषधालय का पता	शरणगृह की संख्या	शरणगृह का क्षेत्रफल	छोटे पशुओं की संख्या	बडे पशुओं की संख्या	प्रकार (शरणगृह / औषधालय)
	1.						
	2.						
3.	पदाधिकारियों / शासी निकाय / प्रबंधन समिति के ब्यौरे						
	नाम	पद का नाम	पता	फोन नंबर / मोबाइल नंबर (व्हाट्सएप नंबर)		ई-मेल पता	आधार नंबर

	1.					
	2.					
	3.					
4.	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम / भारतीय न्यास अधिनियम, सहकारी सोसाइटी अधिनियम, आदि के अधीन वर्ष के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या (रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें नवीकरण के साथ, यदि कोई हो, सम्यक रूप से नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित)					
5.	नीति आयोग एनजीओ पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण का ब्यौरा-तारीख और विशिष्ट आईडी नंबर (एक फोटोकॉपी संलग्न करें) (अनिवार्य)					
6.	संगम ज्ञापन, उपनियम / संगठन का संविधान (कृपया नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक रूप सेप्रमाणित संशोधन के साथ एमओए की प्रति संलग्न करें, यदि कोई हो					
7.	विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का ब्यौरा– रजिस्ट्रीकरण की संख्या और तिथि (कृपया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)					
8.	आयकर अधिनियम के अधीन 80छ छूट का ब्यौरा, यदि कोई हो (संख्या, तारीख और संलग्नक)					
9.	आय के स्रोत का ब्यौरा (राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, विदेशी एजेंसियों और अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान)					
	राज्य सरकार से					
	केन्द्रीय सरकार से (एडब्ल्यूबीआई के अतिरिक्त)					
	दान से					
	विदेशी एजेंसियों से					
	अन्य स्रोतों से					
	कुल					
10(i)	संस्था के मुख्य उद्देश्य					
10 (ii)				**गतिविधियां**	**व्यय का प्रतिशत**	
				आवारा पशुओं / बडे पशुओं को आश्रय देना		

	पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय के प्रतिशत के साथ संगठन की गतिविधियां	आवारा कुत्तों और अन्य छोटे पशुओं को आश्रय देना	
		पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम	
		औषधालय / उपचार	
		पशु रोगी वाहन सेवाएं / मोबाइल पशु क्लिनिक	
		पशुओं का बचाव / पुनर्वास	
		पशु कल्याण के लिए जागरूकता / प्रशिक्षण	
		पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ कानूनी मामले दर्ज	

10(iii)	लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार अन्य गतिविधियॉं		
	क्र. सं.	**गतिविधियां**	**व्यय का प्रतिशत**
	1.		
	2.		

11.	वर्ष के दौरान आश्रय / इलाज / बचाए गए पशुओं की संख्या का ब्यौरे				
(i)	वर्ष के दौरान बचाए गए पशुओं की संख्या				
(ii)	पिछले एक वर्ष में संगठन द्वारा उपचारित पशुओं की संख्या **टिप्पण:** (*जैसा कि संगठन द्वारा बनाए गए पशु उपचार रजिस्टर से सत्यापित है*)				
	उनके इन-हाउस डिस्पेंसरी / अस्पताल में	मौके पर बीमार और घायल जानवर	चिकित्सा शिवरों में	मोबाइल क्लीनिक द्वारा	**कुल**
(iii)	आश्रय वाले पशु की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति (संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)				
(iv)	अधिकार क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा पशु सत्यापन प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी संलग्न करें)				
12.	उपलब्ध औषधालय / चिकित्सा सुविधाओं का विवरण				
	औषधालय / स्वास्थ्य सुविधा का पता	ओटी (उपलब्ध या नहीं)	चिकित्सकीय संसाधन	ब्यौरा संलग्न किया जाना है	

13.	क्या रोगी वाहन / ट्रैक्टर ट्रॉली उपलब्ध है, यदि हॉं						
	क्र.सं.	**वाहन का मॉडल**	**खरीदने की तारीख**	**कि.मी.**	**खरीद की लागत**	**उपयोग का प्रयोजन**	**लॉग बुक**

	1.						
	2.						
14.	क्या संगठन किसी मुकदमे में शामिल है ? यदि हां तो नवीनतम स्थिति सहित उसका विवरण और इसने संगठन के कामकाज को कैसे प्रभावित किया है ?						
15.	संस्था / शरणगृह में कर्मचारियों का विवरण						

	कर्मचारी का नाम	**आयु**	**आधार नंबर**	**वेतन**	**शिक्षा**	**पद का नाम**	**प्रकार (पूर्णकालिक / अंशकालिक)**

16.	पिछले वर्ष के दौरान पीसीए अधिनियम के अधीनसंस्थित अदालती मामलों की संख्या	
17.	पिछले वर्ष के दौरान पीसीए अधिनियम के अधीनफाइल की गई प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) की संख्या	
18.	प्रबंधन समिति की बैठकों की आवधिकता (पिछले एक वर्ष की पशु कल्याण गतिविधियों के लिए अपनाए गए संकल्प की प्रतियां संलग्न करें)	
19.	पिछले तीन वर्षों की गतिविधि रिपोर्ट / वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, यदि कोई हो	
20.	तुलनपत्र और आय-व्यय विवरण सहित वार्षिक लेखा परीक्षित खातों की प्रति, यदि कोई हो	
21.	संगठन के नाम पर बैंक खाते के ब्यौरा	

	बैंक का नाम	शाखा का पता	आईएफएस कोड	खाता संख्या	खाता धारक का नाम

भाग – II

22.	पशु जन्म नियंत्रण केंद्र (केंद्रों) का विवरण	
	केंद्र का नाम	**केंद्र का पता**

23.	चालू वर्ष में प्रस्तावित बंध्यीकृत या लक्षित और प्रतिरक्षित किए जाने वाले पशुओं की कुल संख्या		
(i)	**नर कुत्ता**	**मादा कुत्ता**	**कुल**

(ii)	इस प्रयोजन के लिए किया जाने वाला कुल व्यय	

24.	इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य एजेंसी / सरकार / विभाग से प्राप्त सहायता अनुदान / प्रतिपूर्ति अनुदान का विवरण, यदि कोई हो			
	क्र. सं.	**रकम**	**कहां से प्राप्त**	**वर्ष**

25.	पिछले **5** वर्षों में किए गए पशु जन्म नियंत्रण शल्य चिकित्सा कार्यों का विवरण (वर्ष - वार ब्यौरा)				
	क्र. सं.	**नर कुत्ता**	**मादा कुत्ता**	**कुल**	**वर्ष**

26.	प्रस्तावित योजना को क्रियान्वित करने के लिए संगठन के पास उपलब्ध अवसंरचना / सुविधाओं का विवरण	
(क)	क्या आपके पास शल्यक्रिया कक्ष के साथ एक डिस्पेंसरी है?	☐ हां ☐ नहीं
(ख)	उपलब्ध भापसह पात्रों की संख्या	
(ग)	क्या शीत और उपस्कर के लिए भंडार कक्ष उपलब्ध है ?	☐ हां ☐ नहीं
(घ)	कुत्तों को पकडने का तरीका	
(ङ)	क्या आपके पास स्वयं के कुत्ते पकडने वाले हैं, यदि नहीं तो उस एजेंसी का नाम जो कुत्तों को पकडेगी और रिहा करेगी	
(च)	प्रशिक्षित पशु संचालकों की संख्या	
(छ)	पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम चलाने की मासिक क्षमता	
(ज)	केनलों की संख्या एवं उनका माप / सुविधाओं के ब्यौरा	
	केनल की संख्या	
	क्षेत्र	
(झ)	ऑपरेशन थियेटर और अन्य बुनियादी ढाँचे का ब्यौरा	
	(अ) पूर्व-संचालन तैयारी क्षेत्र	☐ उपलब्ध ☐ उपलब्ध नहीं
	(आ) ओ.टी. में वातानुकूलन	☐ उपलब्ध ☐ उपलब्ध नहीं
	(इ) बंधीकृत कुत्तों की पहचान करने की विधि (जैसे कान का कतरना)	
	(ई) जल निकास	☐ उपलब्ध ☐ उपलब्ध नहीं
	(उ) उपकरणों की सफाई और बंधीकरण करने के लिए कमरा / क्षेत्र	☐ उपलब्ध ☐ उपलब्ध नहीं
	(ऊ) उपलब्ध सर्जिकल उपस्करों के सेट की संख्या	
	(ए) बुनियादी उपस्करों की संख्या	
	दगाई मशीन	
	ओ.टी. टेबल	

	स्ट्रेचर	
	ऑटोक्लेव	
	फ्रिज	
27.	क्या नगर पालिका / नगर निगम / प.क.सं. के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है ? (यदि हां, तो समझौता ज्ञापन की प्रति संलग्न करें)	हां ☐ नहीं ☐
28.	क्या वर्ष के दौरान आपके क्षेत्र में कुत्तों की जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है यदि हां, तो रिपोर्ट संलग्न करें	हां ☐ नहीं ☐
29.	इस परियोजना में अन्य सहयोगी प.क.सं. का विवरण ?	

	क्र.सं.	**प.क.सं. का नाम और पता**

30.	निगरानी समिति का विवरण	
	क्र.सं.	**समिति के सदस्यों के नाम और पता**

31.	अन्य जानकारी, यदि कोई हो	

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त जानकारी और दस्तावेज मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसर सत्य और सही हैं और प्ररूप में कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है

हस्ताक्षर और मुहर (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

संगठन के शासी निकाय के लिए और उसकी ओर से

नाम :

पदासिहित :

टिप्पण

दस्तावेज क्षेत्रीय भाषा में हैं, जमा करने के समय उनका हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद करें।

3. प्ररूप–II

परियोजना मान्यता का प्रमाण पत्र

4.प्ररूप–IV

प्ररूप–I के भाग –II के अनुसार परियोजना मान्यता का नवीनीकरण

5. प्ररूप–V

परियोजना मान्यता प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण

अनुसूची–II

[नियम 9(2), (3), (4)और नियम 13 देखें]

निगरानी समितियों का गठन

1. **केंद्रीय निगरानी और समन्वय समिति :**

केंद्रीय निगरानी और समन्वय समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जायेगा:

(**क**) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम,1960 को प्रशासित करने वाले प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव, केंद्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष होंगे।

(**ख**) पशुपालन विभाग के आयुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(**ग**) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी

(**घ**) पंचायती राज विभाग मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी

(**ङ**) अध्यक्ष, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

(**च**) अध्यक्ष, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद

(**छ**) अध्यक्ष भारतीय पशु चिकित्सा संगठन

(**ज**) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(**झ**) राज्य में पशु जन्म नियंत्रण समन्वय में सक्रिय रूप से लगे प्रमुख राज्य पशु कल्याण बोर्डों के दो प्रतिनिधि

(**ञ**) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम,1960 का प्रशासन करने वाले प्रशासनिक मंत्रालय के संयुक्त सचिव के स्तर पर एक अधिकारी केंद्रीय निगरानी और समन्वय समिति का सदस्य सचिव होगा।

केंद्रीय निगरानी और समन्वय समिति के कार्य : केंद्रीय निगरानी और समन्वय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:

(i) पशु जन्म नियंत्रण नियमों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करना।

(ii) पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को बढावा देना और राज्यों में पशु जन्म नियंत्रण के लिए बजटीय प्रावधान की व्यवस्था करना।

(iii) अंतर-मंत्रालयी समन्वय की सुविधा और पशु जन्म नियंत्रण से संबंधित मुद्दों को भी हल करना।

(iv) पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप से संबंधित मामले।

(v) पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कोई अन्य मामले।

(vi) पशु कल्याण संगठन की मान्यता रद्द करने के संबंध में शिकायतों की सुनवाई कर सकता है और बोर्ड को आवश्यक निर्देश या आदेश पारित कर सकता है जैसा भी मामला हो।

(vii) मार्ग के कुत्तों के नियंत्रण और प्रबंधन, टीकों के विकास और नसबंदी, टीकाकरण आदि की लागत प्रभावी विधियों से संबंधित अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर नजर रखना।

समिति की बैठक : केंद्रीय निगरानी और समन्वय समिति की छह महीने में एक बार या जब भी आवश्यक हो बैठक होगी।

2. **राज्य कार्यान्वयन और निगरानी समिति :** पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को अंजाम देने के इरादे से प्रत्येक राज्य, राज्य कार्यान्वयन और निगरानी समिति का गठन करेगा। समिति का गठन इस प्रकार है:

(**क**) शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में समकक्ष राज्य निगरानी और कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होंगे।

(**ख**) निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(**ग**) निदेशक, पंचायती राज विभाग

(**घ**) निदेशक, शहरी विकास विभाग (या समकक्ष)

(ङ) भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के दो प्रतिनिधि

(च) राज्य पशु कल्याण बोर्ड के दो प्रतिनिधि

(छ) भारतीय पशु चिकित्सा संगठन के स्टेट चैप्टर के प्रतिनिधि

(ज) संबंधित राज्य के राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष

(झ) उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कम से कम दो नगर निगमों के प्रशासनिक प्रमुख, और कम से कम दो पंचायतों और कम से कम दो नगर परिषदों के प्रतिनिधि

(ञ) राज्य पशु कल्याण बोर्ड के प्रभारी अधिकारी सदस्य सचिव के साथ-साथ प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कार्यक्रम को लागू करने के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

टिप्पण : बोर्ड या राज्य बोर्ड का कोई भी प्रतिनिधि सीधे उस अधिकार क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए।

राज्य निगरानी और कार्यान्वयन समिति के कार्य :- राज्य निगरानी और कार्यान्वयन समितियां निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होंगी :

(i) पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण स्तरों पर पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समितियों की स्थापना।

(ii) राज्य भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुत्तों की आबादी प्रबंधन के लिए एक व्यापक जिलावार योजना विकसित करना (जिसमें बुनियादी ढांचे, बजट आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है)

(iii) जिला और राज्य योजना के अनुसार पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को चलाने के लिए भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त अपेक्षित प्रशिक्षण और अनुभव रखने वाली पशु जन्म नियंत्रण कार्यान्वयन एजेंसियों को सूचीबद्ध करना। इसमें राज्य का पशुपालन विभाग शामिल हो सकता है जो भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के परामर्श से और तकनीकी मार्गदर्शन में काम कर रहा है।

(iv) यह सुनिश्चित करना कि आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया है, और अन्य पूंजीगत लागत (जिसमें पूरी तरह से सुसज्जित पशु जन्म नियंत्रण सुविधाएं / एम्बुलेंस और उपकरण के साथ परिसर शामिल हैं, लेकिन इतनी ही सीमित नहीं हैं), और जनशक्ति लागत सहित पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अन्य सभी खर्च पशु जन्म नियंत्रण कार्यान्वयन एजेंसियों को स्थानीय अधिकारियों से उपलब्ध कराया जाता है, और पशु जन्म नियंत्रण नियमों के नियम 6 के अनुसार समय पर ढंग से प्रतिपूर्ति की जाती है।

(v) स्थानीय अधिकारियों द्वारा राज्य में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की समग्र निगरानी के लिए जिम्मेदार।

(vi) राज्य निगरानी समिति भी जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के दौरान पशु जन्म नियंत्रण और पशुओं के प्रति क्रूरता और पशु जन्म नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के संबंध में किसी भी शिकायत की प्राप्ति / उल्लंघन के संबंध में किसी भी शिकायत की प्राप्ति पर निरिक्षण करेगी और उचित कार्रवाई करेगी।

समिति की बैठक:- समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार या जब भी आवश्यक हो बैठक करेगी।

3. **स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति का गठन:-** स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति के गठन के बिना कोई भी पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम नहीं चलाया जाएगा। पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता के लिए पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुसार स्थानीय स्तर पर पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति की स्थापना अनिवार्य है। समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जाएगा:

(क) नगर आयुक्त या स्थानीय प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी, जो समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(ख) जिले के जन स्वास्थ्य विभाग का एक प्रतिनिधि।

(ग) पास के ब्लाक या जिले के पशुपालन विभाग का प्रतिनिधि।

(घ) एक क्षेत्राधिकार वाले पशु चिकित्सक।

(ङ) जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी का एक प्रतिनिधि।

समिति के कार्य:- समिति इन नियमों के अनुसार कुत्ता नियंत्रण कार्यक्रम की योजना और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। समिति:

(i) बंध्यीकरण, टीकाकरण या इलाज किए गए कुत्तों को पकडने, परिवहन, आश्रम, नसबंदी, टीकाकरण, उपचार और छोडने के लिए निर्देश जारी करना।

(ii) पशु चिकित्सक को मामले के आधार पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर सकती है कि सोडियम पेटांथोल का उपयोग करके गंभीर रूप से बीमार या घातक रूप से घायल या पागल कुत्तों को दर्द रहित तरीके से सुखमयमृत्यु की आवश्यकता है। कोई अन्य तरीका सख्त रूप से वर्जित है। दो पशु चिकित्साअधिकारियों और एक मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संस्था के एक प्रतिनिधि की एक उप-समिति के माध्यम से निर्णय लिया जाना है। उप-समिति प्रत्येक जानवर की सुखमयमृत्यु के लिए लिखित में कारण बताएगी।

(iii) जन जागरूकता पैदा करना और सहयोग और वित्त पोषण मांगना।

(iv) पालतू कुत्तों के मालिकों और वाणिज्यिक प्रजनकों को समय-समय पर दिशानिर्देश प्रदान करना।

(v) श्वान के काटने के मामलों की निगरानी के उद्देश्य से और कुत्ते के काटने के कारणों का पता लगाने के लिए, इस तरह के कदम उठाएं उस क्षेत्र में जहां यह हुआ था और क्या यह एक आवारा या पालतू कुत्ते से था। इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित प्रारूप में मानव अस्पताल से विवरण एकत्र किया जा सकता है।

(vi) भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा सुझाए गये तरीके से संगणना आयोजित करके अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के अन्दर कुत्तों की सख्या का अनुमान लगाएं।

(vii) कुत्तों की अनुमानित संख्या के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करें। ऐसा करने के लिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार के समन्वय से राज्य निगरानी और कार्यान्वयन समिति को प्रस्तुत करना होगा।

(viii) एक नया क्षेत्र लेने से पहले लक्षित क्षेत्र में कम से कम सत्तरप्रतिशतकुत्तोंके चरणबद्ध तरीके से क्षेत्रवार पशु जन्म नियंत्रण करने के लिए बुनियादी ढांचे को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा। बुनियादी ढांचे में ऑपरेशन से पहले की तैयारी के क्षेत्र, ऑपरेशन थिएटर, पोस्ट-ऑप केयर, किचन, राशन और दवाओं के लिए स्टोर रूप, पार्किंग क्षेत्र,पशु चिकित्सकों और परिचारकों के लिए आवासीय कमरे, क्वारंटाइन वार्ड, एम्बुलेंस आदि शामिल हैं यद्यपि यह इसी तक सीमित नहीं है।

अनुसूची –III

[नियम 13 देखें]

पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट

तारीख : **प्रेषण संख्या :**

माह / वर्ष :

पीआईए का नाम :

स्थानीय निकाय का नाम :

एबीसी केंद्र का पता :

क्र. सं.	पशु चिकित्सक का नाम – डॉक्टर	योग्यता	रजिस्ट्रीकरण संख्या	रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण	पिछले महीने में आयोजित सर्जरी की संख्या	पोस्ट ऑपरेटिव जटिलताओं की संख्या	पिछले महीने में मृत्युदर
1.							

2.							
3.							
4.							
माह के लिए कुल योग							

पीआईए* के परियोजना प्रभारी पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर और तारीख :

एमवीओ/जेवीओ के हस्ताक्षर और तारीख**	**डीवीओ** के हस्ताक्षर और तारीख**
एमवीओ / जेवीओ का नाम	**डीवीओ का नाम**
एमवीओ / जेवीओ की मुहर	**डीवीओ की मुहर**

*पीआई: परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी

** एमवीओ: स्थानीय निकाय द्वारा तैनात नगर पशु चिकित्सा अधिकारी।

**जेवीओ : क्षेत्र के शासकीय पशु चिकित्सालय में पदस्थ क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी।

** डीवीओ : पशुपालन विभाग के जिला पशु चिकित्सा अधिकारी / संबंधित जिले के जिला एसपीसीए के पदेन सदस्य सचिव।

एबीसी-एआरवी पिरयोजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट

तारीख : **प्रेषण संख्या :**

माह / वर्ष :

पीआईए का नाम :

स्थानीय निकाय का नाम :

एबीसी केंद्र का पता :

तारीख	नर कुत्तों की संख्या	मादा कुत्तों की संख्या	कवर किए गये कुत्तों की कुल संख्या	अवलोकन के अधीन कुत्तों की संख्या	मृत्युदर	एमीवओ / जेवीओ द्वारा सत्यापन	डीवीओ द्वारा सत्यापन
माह की पहली तारीख							
माह की दूसरी तारीख							
..... तक जारी							
अंतिम तारीख तक							

कुल योग							

पीआईए* के परियोजना प्रभारी पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर और तारीख:

एमवीओ/जेवीओ के हस्ताक्षर और तारीख**	**डीवीओ** के हस्ताक्षर और तारीख**
एमवीओ / जेवीओ का नाम	**डीवीओ का नाम**
एमवीओ / जेवीओ की मुहर	**डीवीओ की मुहर**

*पीआई : परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी

**एमवीओ : स्थानीय निकाय द्वारा तैनात नगर पशु चिकित्सा अधिकारी।

**जेवीओ : क्षेत्र के शासकीय पशु चिकित्सालय में पदस्थ क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी।

**डीवीओ : पशुपालन विभाग के जिला पशु चिकित्सा अधिकारी / संबंधित जिले के जिला एसपीसीए के पदेन सदस्य सचिव।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2023

G.S.R. 193(E).—Whereas a draft of the Animal Birth Control Rules, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification of the Government of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying vide GSR 656(E) dated 31st July, 2022, inviting objections and suggestion from all persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days, from the date of which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 25th August,2022;

And whereas the objections and suggestions received in respect of the said draft rules, have been duly considered by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (ea) of sub-section (1)and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, and in supersession of the S.O. 1256(E), dated 24th December, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement:-**(1) These rules may be called the Animal Birth Control Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definition:-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

   (a) "Act" means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);

   (b) “Animal Birth Control enter” means a veterinary facility with surgical infrastructure, post-operative care kennels, quarantine kennels, isolation kennels, dog transport vehicles with necessary logistics and other such facilities as specified by the Board, built for the purpose of carrying out the Animal Birth Control Program for street dogs;

   (c) "Animal Birth Control program" means Birth Control program carried out for animal under these Rules by a local authority or an animal welfare organisation.

   (d) “Animal Shelter” means place where stray or street or abandoned animals are kept for adoption or rehabilitation, general treatment while they are ill or injured;

   (e) “Animal Welfare Committee” means committee constituted under these rules for resolution of the community dog feeding;

   (f) "Animal Welfare Organisation" means any Organisation working for welfare of animals which is registered under the Societies Registration Act of 1860 (21 of 1860) or any corresponding law for the